

## ARV से संबंधित- Prebid Meeting की कार्यवाही

निविदा में प्रकाशन के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर दिनांक 2.11.09 को 11 बजे पूर्वाह्न में श्री रवि परमार, भा०प्र०से०, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की अध्यक्षता में ARV निविदा हेतु इच्छुक निविदादाताओं के साथ Prebid Meeting आयोजित हुई, जिसमें डॉ० डी० के० रमण, अपर कार्यपालक निदेशक, श्री हेमन्त कुमार सिन्हा, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (प्रतिनियुक्त) एवं श्री प्रदीप कुमार, औषधि निरीक्षक (प्रतिनियुक्त), औषधि नियंत्रण प्रशासन उपस्थित हुये। कुल 2 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसकी उपस्थिति ले ली गयी है। बैठक में उपस्थित इच्छुक निविदादाताओं द्वारा निविदा संबंधी जिन बिन्दुओं को उठाया गया एवं उस बिन्दु पर लिये गये निर्णय निम्न है :-

1. M/s Chiron Behring Ltd. Mumbai के प्रतिनिधि ने निविदा के शर्तों के अनुरूप कंपनी के Blacklist/De-registered/banned by Govt. संबंधी शपथ-पत्र प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी द्वारा निर्गत किए जाने के स्थान पर इसे Notary Public अथवा Chartered Accountant द्वारा निर्गत किये जाने संबंधी परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त संबंधी शपथ-पत्र को प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी का ही होना चाहिए एवं सिर्फ प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ-पत्र ही एतद् हेतु मान्य होंगे।


2. M/s Chiron Behring Ltd. Mumbai के प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि निविदा सूचना में एक स्थान पर 1,50,000 रुपये की EMD एवं दूसरे स्थान पर 50,000 रुपये की EMD जमा किये जाने का निदेश दिया गया है। उपरोक्त दोनों में से कौन सी राशि सही है।


इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि 50,000 रुपये की EMD अग्रधन राशि के रूप में जमा की जानी है एवं इससे संबंधित सुधार Internet पर निविदा सूचना में पूर्व में ही कर दिया गया है।


3. एक निविदादाता द्वारा यह पृच्छा की गयी कि आपूर्ति की जाने वाली औषधियों पर उसका MRP अंकित किया जाना है अथवा नहीं।


इस संबंध में उन्हें बताया गया कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी आपूर्ति की जाने वाली औषधि पर उसका MRP अंकित नहीं होगा। बल्कि Bihar Govt. Supply, Not for Sale अंकित करना रहता है।

बैठक में उठाये गये बिन्दुओं एवं उस पर SHSB द्वारा लिये गये निर्णय को SHSB के Website पर देने का निर्णय लिया गया, Pre-bid Meeting में उपस्थित निविदादाताओं को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया।

  
2/11/09  
प्रदीप कुमार  
औषधि निरीक्षक  
औषधि नियंत्रण प्रशासन

  
2/11/2009  
हेमन्त कुमार सिन्हा  
अनुज्ञापन प्राधिकारी  
औषधि नियंत्रण प्रशासन

  
2/11/09  
डा० डी० के० रमण  
अपर कार्यपालक निदेशक,  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

  
रवि परमार, भा०प्र०से०  
कार्यपालक निदेशक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार